

राजस्व अपील संख्या 410/2023  
अनवान  
काले उर्फ उम्मेद अली बनाम राजस्थान सरकार

20.03.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट अनुपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। आज दिनांक वकील अपीलांट को प्रकरण में पैरवी हेतु अलग-अलग समय में 2-3 बार आवाज लगवाई गई। इसके बावजूद वह स्वयं/अपीलार्थी अथवा इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः न्यायालय हाजा में विचाराधीन उक्त प्रकरण अदम हाजरी तथा अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

  
(अजीत सिंह)  
अतिरिक्त सभागीय आयुक्त  
जोधपुर